न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 28/2022 दायरा दिनांक 23.02.2022

GCMS CASE NO- 2022/28

प्रकाश पुत्र चेतनराम जाति जाट साकिन भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़
(रेस्पोडेंट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज

दिनांकः– 11.04.2023

:: निर्णय ::

यह अपील नायब तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ के प्रकरण संख्या 07/2022 अनवान सरकार बनाम प्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 07.02.2022 के विरूद्व इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलांट ने जरिये अपील निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश में जैर अपील भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 14 एसएलडी ए के प.नं. 78/386 के किला न. 20/.228 है0, 21/202 है0, 22/.114 है0 कुल .544 है0 व प.नं. 78/387 के कि.नं. 1/.253 है0 कमाण्ड कुल 0.797 है0 रकबा के बाबत अपीलांट को बिना सुने मौका पर खडी फसल को जब्त करने हेतु गिरदावर हल्का को आदेश दे दिये व इसके पश्चात पत्रावली में राजस्व मण्डल की निगरानी संख्या 675/2002 में जारी स्थगन की प्रति उपलब्ध रहते हुए भी अपीलांट को बिना सुने ही दिनांक 07.02.2022 को अपीलांट को इस रकबा से मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर दिया। उक्त आदेश अपीलांट के पीठ पीछे पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 07.02.2022 खारिज किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आये तथा रेस्पोडेंट पैरोकार राज उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का रोही भैरूपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 259 के 24.10 बीघा रकबा पर पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस रकबा को नियमन हेतु ईगानप योजना आवंटन नियम 21 क हेतु पत्रावली भी आवंटन हेतु पेश की हुई है, जिस पर आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ ने तहसीलदार से जांच मंगवा रखी है। इसी दौरान रोही भैरूपुरा उर्फ सीलवाणी के रकबा से चक बन्दी कायम हो गई व चकबन्दी के दौरान अपीलांट के कब्जा काश्त से जैर अपील रकबा चक 14 एसएलडी ए के पत्थर न. 78/386 के किला न. 20/.228, 21/202 है0, 22/.114 है0 व चक 15 एसएलडी के प.नं. 79/386 के कि.नं. 13 ता 19/1.771 है0 व कि.नं. 22/.228 व कि.नं. 23/.228 है0, 24/.228 है0 कि.नं. 25/.228 है0 व प.नं. 79/387 के कि.नं. 1 ता 5/1.265 है0 रकबा कायम हो गया। मातहत न्यायालय द्वारा अपीलांट की पीठ पीछे चक 14 एसएलडी ए के प.नं. 78/386 व 78/387 के .797 है0 रकबा की नाजायज काश्त की कार्यवाही कर दिनांक 07.02.2022 को अपीलांट को तलबी का आदेश दिया व इसी आदेश में गिरदावर हल्का को मौके पर खड़ी फसल कुर्क करने का आदेश दे दिया जो निरस्ती योग्य हैं। जैर प्रकरण रकबा के बाबत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 675/2002/एलआर/श्रीगंगानगनर अनवान प्रकाश बनाम राजस्थान सरकार जैरकार है। उक्त निगरानी में जैर प्रकरण रकबा पर माननीय मण्डल का स्थगन प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने बिना सूचना दिये पूर्णतया एकतरफा तौर पर अपील[illegible] आदेश जारी कि[illegible] है। अपीलांट उक्त रकबा नियमन/आवंटन करवाने का पूर्णतया हकदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा [illegible] अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के [illegible] है। अतः अपील [illegible] स्वीकार की जावे तथा अधीनरस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2022 निरस्त किया ज[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.05.18 11:28:30 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपीलांट के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि माननीय न्यायायल राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या 675/2002/एलआर/श्रीगंगानगर में जैर अपील भूमि के संबंध में स्थगन आदेश प्रभावित है। माननीय मण्डल के समक्ष प्रकरण जैरकार रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है जो अनुचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.02.2022 को प्रकरण दर्ज कर उसी दिन मौके पर खडी फसल जब्त करने के आदेश गिरदावर हल्का को दे दिये। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलांट को सुना भी नहीं गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण पाये जाने से निरस्ती योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 07.02.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश को ध्यान में रखते हुए पुनः विधिवसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। अपीलांट दिनांक 28/4/2022 को अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के समक्ष पेश होवे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.05.18 11:28:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner